

# 930

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

वर्तमान अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 केन्द्र स्थल -


कपासन

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 521/25

दापर दिनांक 02/10/25

निर्णय दिनांक 02/10/25



ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			
1	कपासन	210	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर तहसीलदार कपासन की धारा 136 के अधीन अनुसार राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम कपासन प.ह. कपासन खालास 2910 में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर शिवाजी	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	
			पटवारी		सहायक कलक्टर	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

को भेजकर लेख है कि आदेशावली में अमल दरामद कर।

पटवारी

कपासन

सहायक कलक्टर

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार(भ.अ.) कपासन